न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

<u>स्वत्व विभाजन वाद सं0–47/2021</u>
सी.आई.एस. 47/2021

27-01-2023 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। प्रस्तुत अधिकार वाद में वादी के द्वारा दिनांक–24.09.2023 अंतर्गत आदेश 22, नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता में आवेदन दाखिल किया गया है तथा आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रतिवादी सं0–1 जय प्रकाश गुप्ता की मृत्यु दिनांक–22.03.2022 को हो चुकी है और वह अपने पीछे अपने सभी पुत्र एवं पुत्रियों– सुनीत देवी, कविता देवी, विनय कुमार, प्रीता देवी एवं विकास कुमार को छोड़ गए हैं जो उनके विधिक वारिसान हैं और पूर्व से ही इस वाद में पक्षकार हैं। अतः प्रतिवादी सं0–1 के नाम को विलोपित करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।

वादी के आवेदन को सुना। अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–24.09.2022 अंतर्गत आदेश 22, नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते उक्त आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। साथ–ही वादी पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार प्रतिवादी सं0–1 के नाम को विलोपित करें। वाद दिनांक–14.03.2023 वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी